

5. 48
Date: 22/4/2014

GOVT. OF INDIA
REGISTRATION, ENDS & PROHIBITION
GOPALGANJ (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

COURT FEE

Authorization No. 2532



बिहार
JUDICIAL

6929 2128015

Before,

Chandra Bhushan Tiwari
Notary, Gopalganj, (Bihar)

17 गोपालगंज जिला

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

बोडखर

निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं राम कुमार झा

**पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में

आयु 34 वर्ष, जो

ग्राम - गजानाथ पट्ट - जग मोहन

जिला - गोपालगंज, बिहार 844222

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 17 गोपालगंज जिला (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 48 के क्रम सं 68 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 8757373720 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) xaxi.handan@gmail.com है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रार्थना: 26/4



"प्ररूप 26"
(नियम 4क देखिए)

कृपया अपना
नवीनतम
फोटो यहां
चस्पा दे

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकरसभा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं राम कुमार मौंझी **पुत्र/पुत्री/पत्नी अनुप मौंझी
आयु 34 वर्ष, जो ग्राम- पूजाराथा पो- जम मौंझी
थाना - मौंझी गढ़ जिला- गोपालगंज बिहार 844427

(डाक का
पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा
किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 17, गोपालगंज आबाद बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं
48 के क्रम सं 68 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 87573237208 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) 1985@gmail.com है।
7759938238

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति : अनुप

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं			
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित-1			
4.	आश्रित-2			
5.	आश्रित-3			

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	
(ङ.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
[पूर्वोक्त]

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	X
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	X
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	X

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है : शुन्य

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	X
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	X
(ग)	अधिरोपित दंड	X
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथिति	X

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, रकम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	25,000/-	-	-	-	-
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	40,000/-	-	-	-	-
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	-	-	-	-

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शुन	—	—	—	—
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए दैयवित्तक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शुन	—	—	—	—
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (भेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शुन	—	—	—	—
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	10 ग्राम 33.000/-	—	—	—	—
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुन	—	—	—	—
(ix)	समग्र कुल मूल्य	98.000/-	—	—	—	—

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संबुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	लगभग 12.8 हेक्टा	—	—	—	—
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	224	—	—	—	—
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	00-08-12	—	—	—	—
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	—	—	—	—
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X	—	—	—	—
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X	—	—	—	—
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शुन	—	—	—	—

	विनिधान	-	-	-	-	-
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	50,000/-	-	-	-	-
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	25-3	-	-	-	-
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	25-21	-	-	-	-
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	25-21	-	-	-	-
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	25-21	-	-	-	-
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	25-3	-	-	-	-
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	25-3	-	-	-	-
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25-21	-	-	-	-
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	25-3	-	-	-	-
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	25-21	-	-	-	-
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	25-21	-	-	-	-
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	25-21	-	-	-	-
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	25-21	-	-	-	-
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	25-21	-	-	-	-
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	25-21	-	-	-	-
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25-21	-	-	-	-
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	25-21 144 25-21-1111	-	-	-	-
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	00-01-12	-	-	-	-
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	21145	-	-	-	-
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	-	-	-	-
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में	-	-	-	-	-

	क्रय की तारीख	-	-	-	-	-
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	25-4	-	-	-	-
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	25-4	-	-	-	-
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	50,000/-	-	-	-	-
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	25-4	-	-	-	-
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	1,00,000/-	-	-	-	-

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :- शुभ

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति					
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य					
	नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य दायित्व					
	दायित्वों का कुल योग					
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य					
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य					
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य					
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य					
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य					
	आय-कर शोध्य					

	धनकर शोध				
	सेवाकर शोध				
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध				
	विक्रयकर शोध				
	कोई अन्य शोध				
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग				
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।				

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कृषि

(ख) पति या पत्नी शून्य

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :- बनास

शहीद भगत सिंह, महाविद्यालय, खानी, बख्तपुर, जीवल/हिन्दी

विभाषित, देवघर (भारखण्ड) 2004

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम		श्री/श्रीमती/कुं. राम कुमार मांझी			
2	डाक का पता		ग्राम- भगवतपुरा, पोस्ट- डाक मांझी जिला- जोषाबाग, विभाग- 481422			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		11, जोषाबाग, अरुणाचल प्रदेश			
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)		स्वतंत्र			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।					
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन)		शून्य			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)		शून्य			
7	लागू नहीं होता	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी					
	(ख) पति या पत्नी					
	(ग) आश्रित					
8	आस्तियाँ और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में) शून्य					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	—	—	—	—
ख	स्थावर आस्तियाँ	शून्य	—	—	—	—

	I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शु-अ	-	-	-	-
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शु-अ	-	-	-	-
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	100000/-	-	-	-	-
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शु-अ	-	-	-	-
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	100000/-	-	-	-	-
9		दायित्व	शु-अ	-	-	-	-
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	शु-अ	-	-	-	-
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शु-अ	-	-	-	-
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	लागू नहीं होगा				
	(i)	सरकारी शोध (कुल)					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : स्नातक ब्राह्मद भगवत सिंह महाविद्यालय, बसानी, सीमान / हिन्दी विद्यापीठ, देवघर (झारखण्ड) 2004 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

* उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं 8757373720/7759938238

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है xxviii.nandhu@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....